

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 900]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019 — पौष 7, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13359/डी. 236/21-अ/प्रारू./छ.ग./19.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 4 सन् 2019)

## छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम  
एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहलायेगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अध्यादेश के उपबंध, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 से 21 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यक्षीन रहते हुए प्रभावी होगा।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) का अस्थाई संशोधन किया जाना.
3. मूल अधिनियम में, धारा 2 में, खंड (4) में, शब्द "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी," के पश्चात्, शब्द "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी," अन्तःस्थापित किया जाये।
- धारा 2 का संशोधन.
4. मूल अधिनियम में, धारा 10 में,—
- धारा 10 का संशोधन.
- (क) उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये अर्थात्:—
- "स्पष्टीकरण— द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दी गई छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।"
- (ख) उपधारा (2) में,—
- (एक) खंड (ड) में शब्द "अधिसूचित किया

जाये" के स्थान पर, शब्द "अधिसूचित किया जाये; और" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, यथा विहित दर पर, किन्तु जो राज्य में उसके आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,



संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) किन्हीं ऐसे मालों या सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं के अंतर्राज्यीय जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसी प्रदाय में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जायें; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई

अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।”;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक “उपधारा (1) के अधीन” जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक “यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन” प्रतिस्थापित किया जाये।

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक “उपधारा (1)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक “यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)” प्रतिस्थापित किया जाये।

(च) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "उपधारा (1) के अधीन" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये।

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के अधीन

किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, शब्द "सकल आवर्त" के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक के प्रदाय सम्मिलित होंगे, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त



सेवाओं के प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण 2.-** इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, शब्द "राज्य में आवर्त" में निम्नलिखित प्रदायों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:-

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की प्रदायों, जिसको ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(दो) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं का प्रदाय।"

**धारा 22 का संशोधन.** 5. मूल अधिनियम में, धारा 22 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-



“परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे प्रदायकर्ता की दशा में, जो माल के अनन्य प्रदाय में लगा है, चालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए किया जाएगा, जैसा कि अधिसूचित की जाये।

**स्पष्टीकरण—** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जायेगा कि वह माल के अनन्य प्रदाय में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।”

6. मूल अधिनियम में, धारा 25 में, उप-धारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

**धारा 25 का संशोधन.**

“(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति में, पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जायेगा, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा विहित की जाये :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में, ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो कि ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचना की तारीख को ही प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में,

जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां किसी व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति में, पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये।

(6ग) अधिसूचना की तारीख को ही, व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, सत्यापन करायेंगे या कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसी भागीदारों, यथास्थिति, संगम की



प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों के द्वारा आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेंगे :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग को, ऐसी रीति में, पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये,

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या किसी राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।



**स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उनके लिए समनुदेशित है।"

7. मूल अधिनियम में, धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

**नवीन धारा  
31क का  
अन्तःस्थापन.**

"31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा.- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संदाय का विहित तरीका उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किए जाएं, तदनुसार, संदाय करने का विकल्प उपलब्ध करायेगा।"

धारा 39 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम में, धारा 39 में,—

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या 51 या 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय योग्य कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्याधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, संदेय योग्य कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।”

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस अंतिम तारीख के पूर्व करेगा, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :



परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।”

धारा 44 का 9. मूल अधिनियम में, धारा 44 में, उपधारा (1) के संशोधन. पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-



“परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त के द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”

10. मूल अधिनियम में, धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

**धारा 49 का संशोधन.**

“(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद

खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।

- (11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।”

**धारा 50 का संशोधन.**

11. मूल अधिनियम में, धारा 50 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई प्रदायों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकाल कर किया गया है।”

**धारा 52 का संशोधन.**

12. मूल अधिनियम में, धारा 52 में,—

- (क) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने

वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”;

13. मूल अधिनियम में, धारा 53 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“53क. कतिपय रकमों का अन्तरण.— जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन

नवीन धारा  
53क का  
अन्तःस्थापन.



इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम अथवा माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, अंतरण करेगी”।

धारा 54 का संशोधन. 14. मूल अधिनियम में, धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“(8क) जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण किया गया है, सरकार, इस प्रकार प्रतिदाय की गई ऐसी राशि के बराबर राशि का, केन्द्र सरकार को अन्तरण करेगी।”

धारा 95 का संशोधन. 15. मूल अधिनियम में, धारा 95 में,—

(एक) उपखंड (क) में,—

(क) शब्द “अपील प्राधिकरण” के पश्चात्, शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” अन्तःस्थापित किया जाये।



(ख) शब्द, अंक एवं कोष्ठक "धारा 100 की उपधारा (1)" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग" अन्तःस्थापित किया जाये।

(दो) उपखंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।"

16. मूल अधिनियम में, धारा 101 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"101क. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण होगा.— इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण मानी जायेगी।"

नवीन धारा  
101क का  
अन्तःस्थापन.

धारा 103 का संशोधन. 17. मूल अधिनियम में, धारा 103 में,—

(एक) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

“(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, के संबंध में, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।”

(दो) उपधारा (2) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "उपधारा (1)" के पश्चात्, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "और उपधारा (1क)" अन्तःस्थापित किया जाये।"

18. मूल अधिनियम में, धारा 104 में,—

धारा 104 का संशोधन.

(क) उपधारा (1) में, शब्द "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(ख) उपधारा (1) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" के पश्चात् शब्द एवं अंक "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग के अधीन" अन्तःस्थापित किया जाये।

19. मूल अधिनियम में, धारा 105 में,—

धारा 105 का संशोधन.

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां।"

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये।



(ग) उपधारा (2) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" जहां कहीं भी आया हो के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 106 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम में, धारा 106 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया."

(ख) शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 171 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम में, धारा 171 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति, उदग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की

तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द “मुनाफाखोरी” से अभिप्रेत है ऐसी रकम, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित है।”

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13359/डी. 236/21—अ/प्रारू./छ.ग./19.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

**CHHATTISGARH ORDINANCE**

(No. 4 of 2019)

**THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX  
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2019**

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 ( No. 7 of 2017).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Seventieth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

**Short title and  
commencement.**

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019.
- (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance and any reference in any such provision to the commencement of this Ordinance shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.



2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 ( No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendment specified in Section 3 to 21 of this Ordinance.
3. In the Principal Act, in Section 2, in clause (4), after the words “the Appellate Authority for Advance Ruling,”, the words “the National Appellate Authority for Advance Ruling,” shall be inserted.
4. In the Principal Act, in Section 10,-  
 (a) in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:—  
**“Explanation.—**For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the State.”  
 (b) in sub-section (2),—  
 (i) in clause (e), for the word “Council:”, the words “Council; and” shall be substituted;  
 (ii) after clause (e), the following shall be inserted, namely:—
- The  
Chhattisgarh  
Goods and  
Services Tax  
Act, 2017 ( No. 7  
of 2017) to be  
temporarily  
amended.**
- Amendment  
of Section 2.**
- Amendment  
of Section 10.**

“(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person.”;

(c) after sub-section (2), the following shall be added, namely:—

“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of Section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of Section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not—

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

- (c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52;
- (d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and
- (e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.”;

- (d) in sub-section (3), for the words, brackets and figure



- “under sub-section (1)”, wherever they occur, the words, brackets and figure “under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be,” shall be substituted.
- (e) in sub-section (4), for the words, brackets and figure “of sub-section (1)”, the words, brackets and figure “of sub-section (1) or, as the case may be, sub-section (2A)” shall be substituted.
- (f) in sub-section (5), for the words, brackets and figure “under sub-section (1)”, the words, brackets and figure “under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be,” shall be substituted.
- (g) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

**“Explanation 1.**—For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression “aggregate turnover” shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or

advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

**Explanation 2.**—For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression “turnover in State” shall not include the value of following supplies, namely:—

- (i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount."

5. In the Principal Act, in Section 22, in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be added, namely:—

“Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

**Amendment  
of Section 22.**

**Explanation.**—For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.”

**Amendment 6.  
of Section 25.**

In the Principal Act, in Section 25, after sub-section (6), the following shall be added, namely:-

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and



the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

- (6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

- (6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing

Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

- (6D) The provisions of sub-section (6A) or (6B) or (6C) shall not apply to such person or class of persons or part of the state, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

**Explanation.**—For the purposes of this section, the expression “Aadhaar number” shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of

Financial and Other  
Subsidies, Benefits and  
Services) Act, 2016.”

7. In the Principal Act, after Section 31, the following shall be inserted, namely:—

**Insertion of new  
Section 31A.**

“31A. **Facility of digital payment to recipient.**-The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”

8. In the Principal Act, in Section 39,-  
(a) for sub-section (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

**Amendment of  
Section 39.**

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of Section 10 or 51 or 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward

and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

- (2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”;

(b) for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:—

“(7) Every registered person who is required to furnish



a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such

time, as may be prescribed.”

**Amendment of Section 44. 9.**

In the Principal Act, in Section 44, after sub-section (1), the following shall be added, namely:—

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”

**Amendment of Section 49. 10.**

In the Principal Act, in Section 49, after sub-section (9), the following shall be added, namely:—

“(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).”

11. In the Principal Act, in Section 50, after sub-section (1), the following shall be added, namely:—

**Amendment  
of Section 50.**

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of Section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under Section 73 or 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.”

12. In the Principal Act, in Section 52,-

- (a) after sub-section (4), the following shall be added, namely:-

**Amendment  
of Section 52.**

“Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified

by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”

(b) after sub-section (5), the following shall be added, namely:—

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”

**Insertion of new  
Section 53A.**

**13.**

In the Principal Act, after Section 53, the following shall be inserted, namely:—

**“53A. Transfer of certain amounts.-**

Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Service Tax Act or under the Integrated Goods and Service Tax Act or under the Goods and Service Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the Central tax account or Integrated Tax



Account or Cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.”

- 14.** In the Principal Act, in Section 54, after sub-section (8), the following shall be added, namely:—

**Amendment  
of Section 54.**

“(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State Tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”

- 15.** In the Principal Act, in Section 95,-

**Amendment  
of Section 95.**

(i) in clause (a),—

(a) after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted;

(b) after the words and figures “of Section 100”, the words and figures “or of Section 101C of the Central Goods and Service Tax Act” shall be inserted;

(ii) after clause (e), the following shall be added, namely:—

“(f) “National Appellate Authority” means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in Section 101A.”

- Insertion of new Section 101A.**      **16.**      In the Principal Act, after Section 101, the following shall be inserted, namely:—
- "101A. National Appellate Authority for Advance Ruling under Central Goods and Service Tax Act, shall be Appellate Authority under this Act.-** Subject to the provisions of this Chapter, for the purpose of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under Section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act."
- Amendment of Section 103.**      **17.**      In the Principal Act, in Section 103,-
- (i) after sub-section (1), the following shall be added, namely:-
- “(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—
- (a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of Section 101B of Central Goods and Service Tax Act and

all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961;

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.”

(ii) in sub-section (2), after the words, brackets and figure “in sub-section (1)”, the words, brackets and figure “and sub-Section (1A)” shall be inserted.

**18.** In the Principal Act, in Section 104, in sub-section (1),—

(a) after the words “Authority or the Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted; and

(b) after the words and figures “of Section 101”, the words and figures “or under Section 101C of the Central Goods and Service Tax Act” shall be inserted.

**Amendment  
of Section 104.**

**Amendment  
of Section 105.**

**19.**

In the Principal Act, in Section 105,-

(a) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely:—

“Powers of Authority,  
Appellate Authority and  
National Appellate  
Authority.”

(b) in sub-section (1), after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted; and

(c) in sub-section (2), after the words “Appellate Authority”, wherever they occur, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted.

**Amendment  
of Section 106.**

**20.**

In the Principal Act, in Section 106,-

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

“Procedure of Authority,  
Appellate Authority and  
National Appellate  
Authority.”

(b) after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted.

**Amendment  
of Section  
171.**

**21.**

In the Principal Act, in Section 171, after sub-section (3), the following shall be added, namely:—



"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

**Explanation.**—For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both."